

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/5170

संज्ञक दिनांक 14-8-2020

:-कार्यालय ज्ञान:-

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गो कार्यालय ऑफ इन्फो, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्या, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता हेतु शक्ति अन्य मर्त पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नद-8 में डिप्लोमा इन फार्मती पाठ्यक्रम सम्बंधित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

सत्र 2020-21 हेतु नवस्थापित होने वाली डिप्लोमा इन फार्मती संस्थाएं जिन्हें पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु निर्मित पीसीआईओ अनुमोदन पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा उक्त भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संस्थाओं का स्तरीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूखे, मकान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उत्तम अक्षिप्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	40 आकाशवाणी नर्सिंग ऑफ फार्मती, डिप्लोमा इन फार्मती, पीसीआईओ, काठमांडू	डिप्लोमा इन फार्मती	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1982, संशोधन विनियमवारी-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्वाह समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के दौरान पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के दौरान पाठ्यक्रम हेतु रु०- 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष से अधिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के दौरान पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 20,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क को प्रत्येक मात्र/वर्ष से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समत-समय पर सूचना द्वारा निर्मित किये जाने वाले आसनादेश प्रभावी होंगे, और उपरोक्त कार्यवाही

93

किया जाना आवश्यक होगा। पीछे विवेकानंद प्रतिष्ठान द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीछे का पुनर्विचार किया जाता है, तो पीछे की नवीकरण करें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (0050 प्राथमिक शिक्षा समितीयों तथा उप समितीयों, उत्तराखण्ड को अग्रदूत शिक्षा जाल) विनियमन-2016 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त अथवा महीना परिसर द्वारा कार्यरत छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के लिए छात्र होने की शर्तों में उत्तर प्रदेश राज्य के निवासीयों को ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को 1980-81 पर निर्णय आदेशों के अनुसार विवेकानंद एन एमएसएस स्कूल बना करना होगा।
- ✓ संस्था को 1980-81/0050/विनियमन से आगे की सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यरत एवं विधि/नियमों/अभिलेखों/आदेशों/निर्देशों एवं विवेकानंद प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, संयुक्त प्रदेश परिसर परिसर 0050 तथा प्राथमिक शिक्षा परिसर 0050 द्वारा कार्यरत एवं नियमों, विवेकानंद आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विवेकानंद इन पारसीय आदेशों की संस्थाएं यदि पीसीआई, आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में संयुक्त कार्यरत संस्था का होगा और विवेकानंद रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षा परिसर, संयुक्त प्रदेश परिसर, प्राथमिक शिक्षा विवेकानंद एन एमएसएस शिक्षा जाल उत्तर प्रदेश राज्य को कोई भी उत्तर दिया जाता है तथा उत्तर प्राप्त के संबंध में भी उत्तरदायक प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्णय किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विवेकानंद एन एमएसएस परिसरों में कार्यरत सभी संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परिसर परिसर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रदेश परिसर हेतु आवेदनित प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर कार्यरत को उत्तरदायक बनना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (आवृत्ति के नाम से संस्था उत्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीकरण आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संयुक्त सूचनाएं हैं। संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, उत्तर, उत्तर-संस्था, उत्तरदायक प्राप्त किया जाने वाला स्कूल, उत्तरदायक स्कूल आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु कार्यरत उत्तरदायक उत्तरदायक करने के साथ ही संस्था के संयुक्त में उत्तरदायक उत्तरदायक उत्तरदायक करने होंगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में कार्यरत/संचालित परिसरों को उत्तरदायक करने हेतु विवेकानंद समिती के संयुक्त उत्तरदायक कार्यरत को आवेदनित पुनर्विचार, उत्तरदायक उत्तरदायक उत्तरदायक का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परिसरों के उत्तरदायक में प्रवेश किया जाता है और परिसर को उत्तरदायक उत्तरदायक होती है कि संस्था उत्तरदायक का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तरदायक संस्था की उत्तरदायक उत्तरदायक दिखे जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ उत्तरदायक शर्तों का अनुपालन न दिखे जाने अथवा शर्तों का उत्तरदायक दिखे जाने की शर्तों में विवेकानंद अनुपालन कार्यवाही की जाएगी।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठ- प्रतिभा/परिसर क-इका/2020/0171-6578
प्राथमिक शिक्षा/विवेकानंद, पीछे आदेशों/संयुक्त परिसर उत्तर प्रदेश, विवेकानंद-अभिलेख
पीछे-विवेकानंद, कानपुर।

(सतीश कुमार सिंह)
सचिव